

4309

क्र. 9300/ 33

427820 5000Rs.



40
2918

व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित
 किया गया है कि उक्त व्यक्ति
 का नाम, पता, उम्र, पेशा, धर्म, आदि
 सही प्रकार से दर्ज है।

क्र. 18600
 एड 54-0
 सं. 250
 1917-18

1. लेख्यकारी:- श्री ⁹ को ⁴ वल्द
 रवालीक को ⁹ रशी कायम जाति
 कसाव निवास स्थान मुस्लिम
 नगर अन्धर भहर नौ थाना
 डालहनगंज जिला पलामु पेशा
 कास्तकारी (भारतीय)।

2. लेख्यधारी:- श्रीमति प्रमिला देवी
 जी ⁹ श्री दुपुन सिंह कायम जाति
 राजपुर निवास स्थान रामपुर
 पञ्चालय कटुवल थाना चैनपुर
 जिला पलामु पेशा सुहणी नौ खेती
 (भारतीय)।

3. लेख्यकार:- मिर्चिवाट विक्रमपत्र

सही छोट को रशी मो 13000/ टिरलवे
 हजार शब्दा में मवाजी 7 1/2 डीं जमीन
 मो जा सह पुर टोला सेमर टांडका बंधा
 वसिका पठकर सम मग गि 29.5.2006

29/11/2006



खाता नं. कारण रकम पाहरी
 १०५ ११८३ ०.७१ ३. जीज किडेय
 एक ज्यारट २ रु. सावित्री
 सौ सौ
 पांच तिरापी
 पुनः १२' चौक
 काम रास्ता
 प्र. कमिश्नर
 हाकर १३
 भागल डोट

सही छोटे को २२१ २९-५-२००५

जमा ०.७१ रु. जमीन
 खेती के काम
 नाममात्रिकु. माखण्ड सरकार
 कारा सी० नं० १००० चमपुर
 नाममात्रिकु. श्री ०१० पता कानपुर

२९.५.२००५
 २९.५.२००५



— विदित है कि सम्पत्ति रवाना नष्ट बसिका हाजा मेरी खरीदगी सम्पत्ति मरकम रजि. तारीख २२-६-१९९९ ई.सी. को बफरत श्री गोपाल दास बल्द स्व. श्याम सुन्दर दास से केवाला सं. ५२३६ के द्वारा फिर - एराजीमत के साथ हासिल है जिसका ब सिरिस्ते मालिक के यहां का. खाजि के. नं. २६/११-२००० के द्वारा डिमाण्ड भी मेरे नाम से खुल गया है, तथा रसिद मालगुजारी की मेरे नाम से कट रही है। मैंने अपर समाहती में डालरनगंज पलामुं द्वारा सीमांकन भी करा लिया है जिसका काद सं. ६/२०००-२००१ दर्ज हुआ है। तथा अमीन द्वारा मेरी खरीदगी सम्पत्ति जिसका पूरा रकबा २.३१ १/२ है। अमीन द्वारा नापी कर नक्शा बनवाकर खुला गड़ी भी करा दिया गया है। जिसपर लेखकारी का आम्ति पूर्वक करबल कब्जा है वो चला जाता है।

सही छोट को है ही 21-5-2007



— धुंके मह सम्पत्ति गोपाल दास की माता सारो देवी जोशी 2 याम सुन्दर दास के नाम से क्रम ६.११६ जमीन के बालान ३७४१ वीं ३७४२ के द्वारा १३.५.१९७१ ई० की खरीद की थी। और ता जिन्दगी उक्त कायम की रहकर अपने दिई दो लड़के गुलाब दास वीं गोपाल दास तथा दो लड़कियाँ सावित्री देवी वीं कलावती देवी को छोड़कर कजा कर गई। इस तरह सारो देवी की सम्पत्ति में दोनों भाइयों वीं दोनों बहनों का एक बन्ता था वीं गोपाल दास की एक बहन सावित्री देवी जोशी थी वंशी दास ने दिनांक ५-६-२००२ ईस्वी को दस्तावेज सं० २७७३ के माध्यम से स्वीकृती पत्र लेख्य कारी दारु कारी के नाम से गिरफ्त वीं ताकि इसपर भविष्य में किली तरह का विवाद नहीं रह जाए।

सही छपी दे को २ इ। २१-५-२००३



— इस वकालत (मुकदमा) रूपये का
 सरवा जखदी वारत बकाने अपने
 कारीवार के लिए है जो बिना किए
 मह मामला बिक्री जमीन के रूपये
 का प्रबन्ध खाश्ट अपने पास है
 हीन (मुश्किल है) इसलिए मैं उक्त
 सम्पत्ति खाना नं० २ वसिका हाज
 की भू-भाग को बनाम के बहक
 लैरव्यधारी खाना नं० २ वसिका हाज
 के साथ क मूल्य मी० ६३०००० रूपये
 में बिक्री किए है मिषिकाद बिक्रय-
 पत्र (केवाला) लिखा है मैं आज
 से अपना कायम वी कारिज
 दरिखल जरदाना

— चाहिए की खरीदार मासुका
 खुद मय वारीशान कायम वी
 कारिज दरिखल रहकर अपना
 नवण निर्माण करे, काज की
 बाणीया लगावे, वी जैसा भी
 अपना मुनासीब समझे करे।
 तथा हीनवाला कामपनी वी


सदी छोटे को २३१ २१-५-२००२



वा जैसा भी चाहे नौजा करें। इससे मुझे वा मेरे कारीभान को कोई खरीदार नहीं रहा। ना ही आइन्हीं कभी भी लीगा साच ली साच में खरीदार को यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि सम्पत्ति खाना ना ५ वर्षका होज हर तरह से पाक साफ तथा भार मुक्त ली को खरीदार मौजूदा के सिरिली मासिक कंपनी नाम दर्ज कराकर मालगुजारी दिया करें। वा तकायूल बदलने फटीकने के अमल में आया मूल्य (व्युक्त) पर चुके हैं।

इसलिए मैं अपनी राजी खुशी से कंपनी तथा मुकामान को क (खुद) सोच समझ कर यह निर्विवाद विक्रमपत्र (किवाला) लिख दिया की समय पर काम आवे वा प्रमाण रहे। ता: २५ मई सन् २००३ ईस्वी।

सही छोट को २३ २१-५-२००३



प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रति एक दूसरे दस्तावेज की एक ही प्रतिलिपि है।

कारिष: अरुण कुमार (अंक)
 बसिका नवीस मीठ डा. मरनगंज
 बसिका हाजरा गिरवा की पक्कर
 फरीकन की (सुका दिया)
 ता: २०-५-२००३ ई ई
 दस्तावेज अनुबद्धि ला ० न ०
 उम २००३ पलामुं।

सही प्रती दे को २२१ २१-५-२००३